FIROZABAD POLICE
सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

सराहनीय कार्य दिनांक 14.04.2024 थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड करते हुए दो शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 08 अदद देशी तमन्चा, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 03 अदद अधबने तमंचा एवं भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

- **अभियुक्त देवेन्द्र पर विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं आधा दर्जन से अधिक अभियोग।**
- **बन्द पड़े ईंट के भट्टे में हो रहा था अवैध शस्त्रों का निर्माण।**
- **अभियुक्तगण 04 से 05 हजार रुपये में करते थे अवैध असलहा की बिक्री।**
- **अभियुक्त देवन्द्र अवैध असलहों के मामले में पूर्व में भी जा चुका है जेल।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतत्रं, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद में अवैध शस्त्र, अवैध शराब व अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी जसराना के कुशल नेतृत्व में थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 13.04.2024 को अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड करते हुए नगला राम चौराहे के पास एक बन्द पड़े ईट के भट्ठे से 02 अभियुक्तगण 1. देवेन्द्र सिंह पुत्र जलेब सिंह 2. रामशंकर उर्फ छोटे पुत्र कोमल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 07 अदद देशी तमन्चा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमंचा 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 03 अदद अधबने तमंचा 315 बोर, दो अदद नाल लोहा 315 बोर, दो अदद नाल लोहा 12 बोर व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जसराना पर मु0अ0सं0 149/24 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है जिसमें अवैध असलहा की मांग बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग अभी से अवैध असलहा तैयार कर रहे थे ताकि चुनाव में मंहगे दामों पर बेच सकें। अवैध असलहा बेचकर जो मुनाफा होता उसे हम लोग आपस में बांट लेते। अभियुक्त देवेन्द्र ने बताया कि वह पूर्व में भी थाना नसीरपुर एवं थाना अवागढ़ जनपद एटा से अवैध असलहा के मामले में जेल जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र जलेब सिंह निवासी मोहम्मदपुर थाना जसराना जिला फिरोजाबाद।
2. रामशंकर उर्फ छोटे पुत्र कोमल सिंह निवासी मोहम्मद पुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 149/24 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

अभियुक्त देवेन्द्र आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 04/13 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना नसीरपुर फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 215/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना अवागढ एटा।
3. मु0अ0सं0 226/14 धारा 5/25 आर्म्स एक्त थाना अवागढ एटा।
4. मु0अ0सं0 221/14 धारा 21/22 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना अवागढ एटा।
5. मु0अ0सं0 496/17 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना जसराना फिरोजाबाद।
6. मु0अ0स0 201/18 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना जलेसर एटा।
7. मु0अ0सं0 149/24 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना जसराना फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1. 07 अदद तमन्चा 315 बोर
2. 03 अदद अधबने तमंचा 315 बोर,
3. दो अदद नाल 315 बोर
4. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
5. 01 अदद तमंचा 12 बोर
6. एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
7. दो अदद नाल 12 बोर
8. एक अदद पंखिया
9. दो अदद सड़सी लोहा
10. एक अदद बाँक लोहा
11. दो अदद हथौड़ी
12. एक शुम्मा
13. दो अदद शुम्मी
14. एक अदद छेनी
15. दो अदद प्लास
16. दो पेचकस एक बड़ा एक छोटा
17. एक अदद लोहा काटने वाली आरी
18. दो अदद ब्लेड बड़े
19. तीन अदद ब्लेड छोटे
20. चार अदद रेती बड़ी
21. एक अदद पाइप रिंच
22. एक अदद तेपर रेती
23. एक अदद बड़ी रेती तिकोनिया
24. एक अदद निहाई गोल लोहा
25. चार अदद छोटी बड़ी स्प्रिंग लोहा
26. 09 अदद रिपिट लगाने वाली तान
27. एक अदद सूजा जिसमें प्लास्टिक का हत्था लगा हुआ
28. लोहे की कतरन बाडी में लगाने वाली
29. लोहे की पत्ती टेगर गार्ड व बाडी बनाने के लिये
30. एक अदद ड्रिल मशीन
31. एक चार्जिग लाईट,(टार्च)
32. अधजली मोमबत्ती व एक अदद माचिस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अन्जीश कुमार सिंह थाना जसराना, फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 जयचन्द्र बाबू शर्मा जसराना, फिरोजाबाद।
3. SI/UT श्री परविन्दर सिंह थाना जसराना फिरोजाबाद।
4. हे0का0 987 रणवीर सिंह थाना जसराना फिरोजाबाद।
5. का01243 मो0रियाज थाना जसराना फिरोजाबाद।
6. का0 401लक्ष्मण सिंह थाना जसराना फिरोजाबाद।
7. का0 1066 प्रवेन्द्र कुमार थाना जसराना फिरोजाबाद।